



# पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), E-mail ID- academicprsu2@gmail.com

क्रमांक : 967 / अका. / 2023

रायपुर, दिनांक : 11/01/2023

## ॥ अधिसूचना ॥

विद्यापरिषद् कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 05.01.2023 के पूरक विषय सूची के निर्णय क्रमांक 4 में नवीन विनियम क्रमांक-184-B 'मानव संसाधन विकास केंद्र कायिक निधि' का अनुमोदन किया गया है, जो निम्नांकित है -

### विनियम क्रमांक-184-B

#### 'मानव संसाधन विकास केंद्र कायिक निधि'

- क्षेत्र** - इस विनियम का प्रभाव क्षेत्र विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग (UTD) होगा।
- मद** - इस कायिक निधि का एक बैंक खाता होगा जो मानव संसाधन विभाग केंद्र कायिक निधि खाता होगा।
- उद्देश्य** -
1. इस निधि का उपयोग विभाग के माध्यम से शिक्षकों की क्षमता विकास हेतु, शोध परिचर्चा, सेमिनार एवं कांफ्रेंस के लिए किया जावेगा।
  2. मानव संसाधन विकास केंद्र कायिक निधि से प्रतिवर्ष प्राप्त ब्याज का 50 प्रतिशत ही उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया जायेगा।
- निधि** - इस कायिक निधि में राशि की व्यवस्था निम्न रितियों से की जावेगी -
01. कुलपति
  02. निदेशक
  03. मानव संसाधन विकास केंद्र के वरिष्ठ शिक्षक
  04. कुलसचिव
  05. वित्त नियंत्रक
- निधि का परिचालन** - निधि खाते का परिचालन मानव संसाधन विकास केंद्र के निदेशक के द्वारा किया जाएगा। इस हेतु कुलपति का अनुमोदन अनिवार्य होगा।
- संशोधन एवं निरसन** - इस निधि के विनियम के प्रावधान में परिवर्तन, संशोधन एवं निरसन का अधिकार विश्वविद्यालय का होगा।

आदेशानुसार,

Spatel  
11/1/23  
कुलसचिव


पृ. क्रमांक : 968 /अका./2023

रायपुर, दिनांक : 11 /01/2023

प्रतिलिपि :-

01. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के अवर सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर
02. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर
03. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर
04. आयुक्त, उच्च शिक्षा, ब्लॉक-सी-3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर
05. अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला/प्राचार्य, संबद्ध समस्त महाविद्यालय,
06. समस्त विभागीय अधिकारी,
07. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

  
उप-कुलसचिव (अका.)